

15/12/22

पत्रावली वादी स्वयं एवं वकील वादी द्वारा
 उपास्थित आकर प्रार्थना पत्र उत्तुत करने
 पर पेशी में ली गई।
 वादी ने जरिये अधिवक्ता इस आशय
 का प्रार्थना-पत्र उत्तुत किया है कि वाद
 में तकनीकी कमियां रह गयी हैं। वादी
 वाद को जरिये विद्वान् निरस्त करवाना चाहता
 है। एवं नये सिरे से वाद उत्तुत करना
 चाहता है।

अतः वाद-वादी जरिये विद्वान् रवारिज किया
 जाता है। वादी नये सिरे से वाद उत्तुत
 कर सकता है।

अतः वाद पत्रावली फौजदारी-शुमार होकर
 हस्त जावना कारिगत दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/12/2022 को
 सुनाया गया।

4
 उपखण्ड अधिकारी
 कोलायत जिला-बीकानेर